आज का विचार

परमात्मा पूजा का नहीं, प्रेम का भूखा है।

-गुरु नानक देव

पवित्र-अपवित्र

मनुष्य चाहे चंद्रमा पर पहुंच गया हो, परंपराओं, अंध विश्वास और रीति-रिवाजों की बेड़ियों में जकड़े पुरोहित वर्ग की कट्टरपंथी मानसिकता में बदलाव आज भी नहीं आया। उस दिन केंद्रीय मंत्री वायलार रवि अपने परिवार के साथ केरल के गुरुवाथूर मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। पूजा रचा की। ज्योंहि बाहर निकले मंदिर के पुजारी विधि-विधान के साथ इस देव स्थान के शुद्धिकरण में जुट गए। तथा कथित पवित्र जल से पूरा मंदिर धुलवाया गया। शुद्धि के लिए जरूरी कहे जाने वाले तमाम कर्मकाण्ड किए गए। आखिर मंदिर के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? पुजारी महाशय का कहना था कि इस श्रीकृष्ण मंदिर में गैर-हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित है। वायलार रवि स्वयं तो हिंदू माता-पिता की संतान होने के नाते हिंदू हैं लेकिन उनकी पत्नी क्रिश्चियन हैं। पुजारी जी का तर्क था कि हिन्दू पिता और ईसाई माँ की संतान हिन्दू नहीं मानी जा सकती। मंत्री थे इसलिए उनके प्रवेश में तो बाधा नहीं डाली गई लेकिन रवि के बाहर निकलते ही शुद्धिकरण जरूरी हो गया। केरल सर्वाधिक शिक्षित और उदार व्यक्तियों का प्रदेश है। फिलहाल यहां वाम मोर्चा की सरकार चल रही है। लेकिन इसी प्रदेश के मंदिर में भक्त और भगवान के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले पुजारी 21 वीं सदी में ब्राह्मण युग के कठोर धार्मिक विधि-विधान से समाज को जकड़े हुए हैं। किसी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है तो किसी में अन्य धर्मावलंबी का। देश में आज भी ऐसे सैकड़ों मंदिर है जहां यह कुरीति और रुढ़िग्रस्त मानसिकता चल रही है। क्या यह भगवान की बनाई व्यवस्था है? जो सबका है, वह तो ऐसा भेदभाव कर नहीं सकता। यह सब पुरोहित वर्ग द्वारा तैयार किए गए वे अतिरिक्त नियम-कानून हैं, जो मनुष्य से मनुष्य और भक्त से आराध्य को दूर करते हैं। हिन्दू धर्म में ही इस तरह की भेदभाव पूर्ण वर्जनाएं अधिक हैं और धर्म रक्षा के लिए बेहद चिंतित साधु-संत तथा संघ परिवारी संगठन इन रुढ़ियों के उन्मूलन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का साहस भी नहीं दिखा पाते। जरा सोचें कि वायलार रवि के प्रवेश से क्या मंदिर अपवित्र हो गया और क्या किसी पंडित, किसी पानी से ऐसे अपवित्र मंदिर को पवित्र करने की ताकत हैं।

हाड़-मांस की टकसाल

सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान एम्स के दस डॉक्टरों की टीम ने देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के करीब साढ़े तीन

नारी सशक्तिकरण- एक नजरिया

उत्थान पतन, जय-पराजय एवं शुभ-अशुभ की साक्षात् प्रतिमूर्ति नारी अपने विभिन्न रूपों में समाज नामक नदी के एक किनारे की भांति विकास के अनंत रूपी समुद्र की ओर सतत् संचारित हैं। इसी कारण आज के युग में महिलाएं एवं पुरूष महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माने जाने लगे हैं। किन्तु इस तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता कि हमारे संस्कार संपन्न भारतीय समाज में नारी एक लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है एवं विचारधारा, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न को निरंतर बढ़ाया है। भारतीय समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं आज भी उत्पीड़न की शिकार हैं। सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं की आड़ में देवदासी, बसाकी और जोगिन के रूप में वेश्यावृत्ति आज भी विद्यमान है। छेड़छाड़, बलात्कार, यौनशोषण, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाएं असुरक्षा, शर्म व अपमान की वेदना में जीवन जी रही हैं। महिलाओं पर होने वाले अध्ययन विभिन्न प्रकार से महिलाओं पर की जाने वाली यातनाओं को समाज के आगे उजागर करते रहे हैं। इसके तदुपरांत महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। यह निंदनीय ही नहीं बल्कि पूर्ण एकाग्रता के साथ गहन विमर्श का विषय है कि हमारी तमाम योजनाओं के बावजूद विकास के नाम पर प्रश्नचिन्ह ही क्यों लगा रहता है। विश्व के पटल पर हमारी संस्कृति एवं इतिहास की धज्जियां उड़ जाती हैं। हमारी आंखों को शर्मसार होना पड़ता है। जब विश्लेषकों द्वारा यह कहा जाता है हिन्दुस्तान में अनेक सरकारी व गैर- सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और वैयक्तिक दशा विचारणीय है। महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने के लिए महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई थी। वास्तव में महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। यद्यपि अनेक मामलों में महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि कर्मक्षेत्र की किसी भी दिशा में अवसर मिलने पर वे पुरूषों से पीछे नहीं रहेंगी। चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खेलकूद, राजनीति एवं कूटनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की श्रेष्ठतम उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें पुरूषों के समकक्ष अवसर मिले तो वे अपने दायित्वों का निर्वाह अधिक अच्छे ढंग से कर सकती हैं। महिलाओं की स्थिति में अनुकूल सुधार लाने के लिए सरकार ने समय-समय पर आवश्यगता के अनुसार कानून बनाए हैं ताकि उनको सुरक्षा एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो, साथ ही महिला उत्थान के लिए अनेकानेक महिला सामाजिक विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। हाल ही में सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित किया गया है। निश्चित रूप से यह सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। आवश्यकता सिर्फ दृढ़ इच्छाशक्ति एवं दृढ़ता के साथ सही दिशा में कठोरता से क्रियान्वयन की है, तभी सरकार के द्वारा किया गया महिला उत्थान कानून यक्षफलदायी होगा।

प्रमोद सिंह तोमर

भारतीय समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं आज भी उत्पीड़न की शिकार हैं। सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं की आड़ में देवदासी, बसाकी और जोगिन के रूप में वेश्यावृत्ति आज भी विद्यमान है।

ज्ञान

समाधान